संख्या- 6/2016/1205 /अड़तीस-5-16-22सम/2013

प्रेषक,

अजय कुमार उपाध्याय,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 26 जुलाई,2016

विषयः विधान सभा एवं विधान परिषद के प्रत्येक मा0 सदस्य की संस्तुति पर पेयजल की समस्या के त्वरित निदान हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में नये इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन तथा हैण्डपम्प रिबोर के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-83)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-390/ अड़तीस-5-16-22सम /2013, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या की विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त विधान सभा एवं विधान परिषद के प्रत्येक मा0 सदस्य की संस्तुति पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नये इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प एवं 100 रिबोर इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन के निर्देश दिये गये थे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र संख्या- 268/डब्लू-335/ टेक/ 2016 दिनांक 21 जुलाई, 2016 एवं तदसंलग्न मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या-300/2042-0023 (शा0) /16, दिनांक 16 जुलाई, 2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार प्रदेश में कुल 47900 इण्डिया मार्क-2 नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं 47900 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों की रिबोरिंग से सम्बन्धित कार्ययोजना पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत अनुदान संख्या- 83 में प्राविधानित धनराशि से रू0 9700.37 लाख (रूपये सत्तानब्बे करोड़ सैतीस हजार मात्र) (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन/ रिबोरिंग राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के अनुसार एवं शासनादेश संख्या- 390/अडतीस-5-16-22सम/2013, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कराये जायेगें।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु निर्धारित 90:10 के अनुपात के अनुसार कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम को रू0 8730.333 लाख एवं यू0पी0 एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 को रू0 970.037 लाख मात्राकृत है एवं तदनुसार धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जायेगी।
3. प्रश्नगत कार्यो के लिए नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
4. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तद्नुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
5. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री / उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण कर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
6. परिसम्पत्ति के सृजन के उपरान्त इसके रखरखाव हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तगत कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. निर्माण कार्यो को निर्धारित विशिष्टियों / मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा। अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यक के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय -आयोजनागत-01-जलपूर्ति-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05- राज्य ग्रामीण पेयजल योजना -24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/ दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अजय कुमार उपाध्याय)
सचिव।

संख्याः 6/2016/1205 (1)/अइतीस-5-16, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर उत्तर प्रदेश।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
5. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
12. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
13. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
14. समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ ।
15. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
16. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in